न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-421RAAJodhpur2021-228RTA225 Hemsingh ors Vs Jethusingh etc

01. हेमसिंह पुत्र भॅवरसिंह
02. दलपतसिंह पुत्र भंवरसिंह
03. खम्माकंवर पत्नी भॅवरसिंह
04. फुल .कंवर पुत्री भॅवरसिंह
05. नीजु कंवर पुत्री भॅवरसिंह
06. मोहन कंवर पुत्री भॅवरसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जेठूसिंह पुत्र गेनसिंह
2. मोहन कंवर पत्नी गेनसिंह
3. अन्तर कंवर पत्नी हिम्मतसिंह
4. जालमसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
5. देवीसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
6. महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- गुमानसिहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020 जेठूसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री ईश्वरसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 14 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020 जेठूसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 527/5, 527/6 ग्राम गुमानसिंहपुरा तहसील शेरगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 527/4 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से छः का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायलय मे मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के निर्देश दिये गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पुनः अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है। खसरा नं. 527/4 की भूमि अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन होना है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 527/2 एवं 527/3 में से रास्ता चल रहा है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। धारा 251-ए के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर ही नवीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट तलब करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया रास्ता अत्यधिक लंबा होने से धारा 251-ए की मंशा के विपरीत होने से देय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 23.10.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये विकल्प के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त रास्ते का विकल्प अपीलाधीन रास्ते से लगभग तीन गुणा लंबा है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच बाद लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2021 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर